मानवता परिवार

"आपका सहयोग, परिवार का सहारा

पत्रांक- MP/DO-63/2026

दिनांक- 05/11/026

इनवेलिड /अवैधानिक सदस्यता पत्र

श्रीमती रीना देवी,,

आपके पति जय सिंह जी के स्वर्गवासी होने की सूचना मानवता परिवार और मानवता परिवार की संपूर्ण टीम को प्राप्त हुई, जिसे जानकर बहुत ही दुःख हुआ। असमय हम सभी को छोड़कर जाना अत्यंत कष्टकारी एवं पीड़ा दायक है। इस दुःख की घड़ी में संपूर्ण मानवता परिवार आपके साथ है।

मानवता परिवार आईडी – MP004740 नाम – स्व. जय सिंह निवासी – बैजनाथ खेड़ा तहसील बीधापुर उन्नाव (उ.प्र.) के संबंध में मृतक नॉमिनी सहयोग हेतु आवेदन दिनांक 31/10/2026 को प्राप्त हुआ।

अभिलेखों के अनुसार स्व. जय सिंह जी का मानवता परिवार में पंजीकरण दिनांक 27/01/2026 को हुआ था।आवेदन के अनुसार उनकी मृत्यु दिनांक 29/10/2026 को किडनी फेलियर की बीमारी से हुई थी। मृत्यु दिनांक तक वे मानवता परिवार के साथ लगभग 275 दिन तक जुड़े रहे। पंजीकरण अभिलेख एवं आधार कार्ड के अनुसार उनकी आयु मृत्यु के समय 62 वर्ष से अधिक न थी। यह भी अवगत कराना है कि संबंधित सदस्य द्वारा संस्था के सभी सहयोगों में 100% सहभागिता सुनिश्चित है।

मानवता परिवार की नियमावली के भाग-F (मृतक नॉमिनी सहयोग संबंधी नियम) के नियम-6 के अनुसार गंभीर बीमारी का लॉकिंन पीरियड 1 वर्ष है कैंसर किडनी फेलियर लिवर सिक्योरिटी ब्रेन हेमरेज(प्रथम हेमरेज को छोड़कर), हार्ट अटैक (प्रथम हार्ट अटैक को छोड़कर), ब्रेन ट्यूमर,फेफड़े का ट्यूमर हेपेटाइटिस सी, वह गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही, नियमावली के भाग-G, नियम-1 के अनुसार संस्था द्वारा जारी कुल सहयोगों में से न्यूनतम 80% सहयोग पूर्ण करना अनिवार्य है। स्वर्गीय श्री जय सिंह ने रजिस्ट्रेशन करने एवं घटना होने तक 5/5 सहयोग कर रखे थे।सहयोग का प्रतिशत 100% है। मानवता परिवार में 275 दिनों तक जुड़े रहे।

अभिलेखों की जांच के उपरांत पाया गया कि गंभीर बीमारी किडनी फेलियर का लॉकिंग पीरियड 1 वर्ष पूर्ण नहीं है। अतः स्वर्गीय जय सिंह जी की धर्मपत्नी रीना देवी मृतक नामिनी सहयोग के लिए वैलिड नहीं है। मानवता परिवार मानवता परिवार की नियमावली की भाग- F, नियम- 3 के तहत सहयोग करने में असमर्थ है।

प्रदेश प्रभारी -मानवता परिवार
विनोद कुमार चक्रवर्ती